पत्रांक : वाई0ई0ए0/एस0डी0जेड0/3084/2017

YEIDA FUTURE IS HERE

दिनांक 10/07/2017

कार्यालय–ज्ञाप

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या–60/05, दिनांक 09.06.2017 में संचालक मण्डल द्वारा Ease of Doing Business के क्रम में अनुमोदित प्रस्ताव में औद्योगिक इकाईयों हेतु भू–आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण निम्न प्रकार किया गया है :–

(A) **4000 वर्ग मीटर तक**

1. यह योजना ओपन – एन्डेड होंगी।
2. यह योजना प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First come, First serve) के आधार पर लागू की जायेगी।
3. यह योजना लाटरी अथवा साक्षात्कार पद्धति से मुक्त होगी।

(B) **4000 वर्ग मीटर से अधिक**

1. यह योजना ओपन – एन्डेड होंगी।
2. यह योजना लाटरी अथवा साक्षात्कार पद्धति से मुक्त होगी।
3. यह योजना Objective criteria व Project presentation पद्धति पर आधारित होगी। जिसके संबंध में शासन की नीति प्राप्त होने के उपरान्त बोर्ड से अनुमोदित कराया जायेगा।
4. इस योजना में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

इसके अतिरिक्त निम्न प्रक्रिया/ व्यवस्था का भी अनुसरण किया जायेगा:–

1. आवेदन–पत्र ऑनलाइन प्राप्त किये जायेगें तथा आंवटन–पत्र भी ऑनलाईन ही जारी किये जायेगें।
2. आवेदन–पत्र के साथ जमा किये जाने वाले शुल्क जैसेः– प्रकिया शुल्क, पंजीयन शुल्क, आवेदन शुल्क, ऑनलाईन प्राधिकरण के खाते में जमा किये जायेगें।
3. आवेदक से चयन के उपरान्त इस आशय का एक शपथ–पत्र लिया जाना होगा कि आवेदन के ब्रोशर में दी गयी समय सारणी (लीजडीड निष्पादन के 48 महीने के अन्दर) इकाई को संचालित न कर पाने की स्थिति में प्राधिकरण ऑवंटित भूखण्ड को निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।
4. निर्धारित समय सारणी (लीजडीड निष्पादन के 48 महीने के अन्दर) के अनुसार इकाई संचालित न होने की स्थिति में 06 माह का समय–विस्तरण हेतु सकारण आवेदन करना होगा जो ग्रेस पीरियड मानकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुमति से निःशुल्क देय होगा।
5. ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद भी इकाई संचालित न किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण की एक अन्तर्विभागीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति आधारित अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपेगी तत्पश्चात् मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा गुण–दोष के आधार पर अग्रिम समय–विस्तरण पर निर्णय लिया जा सकेगा।

FUTURE IS HERE

6 भूखण्ड ऑवंटन के उपरान्त ऑवंटी द्वारा ऑवंटित भूखण्ड पर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर इकाई स्थापना की दिशा में कोई सन्तोषजनक प्रयास न करने की स्थिति में समर्पण किया जाता है तो समर्पण स्वीकार करने की कार्यवाही ब्रोशर के नियम व शर्तों के अनुसार की जायेगी।

7 प्रदुषण मुक्त औद्योगिक ईकाईयों के सम्बन्ध में पूर्व में प्राधिकरण द्वारा जारी योजना लागू होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त ब्रोशर की अन्य नियम/शर्ते यथावत रहेंगी।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 07.07.2017 के क्रम में जारी किया जा रहा है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(शैलेन्द्र कुमार भाटिया)
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. व्यैक्तिक सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबंधक (वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.बी./एम/एस), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबंधक /सम्बन्धित उप महाप्रबंधक (परियोजना), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. समस्त योजना प्रभारी/प्रबंधक– (सम्पत्ति), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।

विशेष कार्याधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी – 201301 गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 – 0120 – 2395153, फैक्स न0 – 0120 – 2395150